न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1515/2026

अवध नरेश आयु 68साल पुत्र नान्हूं वर्मा निवासी ग्राम दनियालपुर थाना कोतवालीनगर, जिला बाराबंकी ।

——— प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार – विपक्षी।

परिवाद संख्या–17322/2023
अपराध सं–501/2023
धारा–420,467,468,471,323,504,506 भा0दं0सं0
थाना– कोतवालीनगर,
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	श्री मुकेश शुक्ला
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	27.05.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	11.06.2026

<u>निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र</u>

यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी द्वारा अवध नरेश व आशीष कुमार वर्मा से गाटा संख्या–126 के प्लाट क्रय करने हेतु तीन लाख पचास हजार रूपये देकर दो साल के लिये इकरारनामा कर कब्जा प्राप्त किया और बाउन्ड्रीवॉल तैयार करवायी, परन्तु अवधनरेश द्वारा दिनांक 10.10.2018 को विष्णुचन्द के पक्ष में बैनामा कर दिया गया तत्पश्चात वादी से सात लाख पचास हजार रूपये लेकर वादी की पत्नी के नाम दूसरा बैनामा कर दिया, वादी जब उक्त भूमि पर निर्माण कराने पहुंचा तो विपक्षीगण ने मारपीट की तथा गालियां व जान माल की धमकी दी।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। कथित भूमि गाटा संख्या–126 में कई प्लाट हैं तथा अवधनरेश द्वारा अलग अलग वादी व विष्णुचन्द्र को प्लाट विक्रय किया गया है तथा दोनों प्लाटों की चौहद्दी अलग है। वादी द्वारा एग्रीमेंट के समय तीन लाख पचास हजार रूपये अभियुक्त को दिये गये थे, चार लाख रूपये बैनामा के समय

दिया जाना कहा परन्तु बैनामा के समय चार लाख रूपये वापस नहीं किये और गलत आधार पर यह मुकदमा दर्ज करा दिया। उपरोक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। वादी की सूचना पर मामले की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी से करायी गयी जिनकी आख्या के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गयी है और अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित करने के उपरांत आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है। अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन प्रार्थनापत्र दिनांक 30.10.2023 को प्रस्तुत किया गया तद्उपरांत से उक्त प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार की आदेशिका जारी करने से निषेधित किया गया था, परन्तु अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.10.2023 से लंबित प्रार्थनापत्र पर बल नहीं दिया गया और वाद कार्यवाही को लंबित रखा गया है। अभियुक्त के कृत्य से वाद का विचारण विलम्बित हुआ है। जमानत प्रार्थनापत्र सद्भाविक रूप से प्रस्तुत नही किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जहां पर अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है वहां पर न्यायालय को ऐसे प्रार्थनापत्र पर सुनवायी के समय अपराध की गम्भीरता एवं अपराध कारित किये जाने की प्रकृति के साथ साथ इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिये कि क्या वादी द्वारा अभियुक्त को झूठे मुकदमें में नामित कर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के आशय से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है या नहीं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पी0 चिदम्बरम बनाम डायरेक्टर ऑफ इमफोर्समेन्ट ए0आई0आर0 2019 सुप्रीम कोर्ट 4198** में यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत मात्र विरलतम परिस्थितियों में ही स्वीकार की जा सकती है।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि वादी मुकदमा द्वारा पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को इस प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा जांच उपरांत अभियोग दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया है। अभियुक्त अवधनेरश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में 482दं0प्र0सं0 के तहत प्रकरण को समाप्त करने की याचना की गयी परन्तु

उस पर बल नहीं दिया गया व डिस्चार्ज किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र दिये जाने की याचना की गयी जो स्वीकृत हुआ तथा उसके आलोक में अभियुक्त द्वारा डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र 30.10.2023को प्रस्तुत किया गया परन्तु उस पर आज तक विचारण न्यायालय के समक्ष बहस पूर्ण नहीं करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त पर एक ही प्लाट को विभिन्न व्यक्तियों से कूटरचना व छल कपट से प्रतिफल प्राप्त कर, बैनामा निष्पादित किये जाने का अभियोग है। अपराध आजीवन कारावास से दण्डनीय है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

मामले के तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता व समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अवध नरेश उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–11.06.2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
UP1899